कम्प्यूटर परिपत्र सं० - 1819018 दि० 03-12-2018

परिपत्र सं0–स0द0–25 क–ई0–वे बिल पोर्टल/2018–19/1621 /वाणिज्य कर
कार्यालय –कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
(सचलदल–अनुभाग)
लखनऊ :दिनांक :: 03 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर :2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2(वि0अनु0शा0)
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक/वि0अनु0शा0)
वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

प्रर्वतन में कार्य कर रहे अधिकारियों की ओर से निरन्तर यह पृच्छा प्राप्त हो रही है कि करापवंचन करने वाली कुछ फर्मों के चिन्हित हो जाने के उपरान्त भी उन्हे ई वे बिल जनरेट करने से प्रतिबन्धित किये जाने का प्रावधान किया जाए। इस संबंध में ई वे बिल पोर्टल पर यह प्रावधान किया गया है कि यदि सम्बन्धित फर्म का GSTIN, जी0एस0टी0 पोर्टल पर सम्बन्धित खण्डाधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया है , तो ई–वे बिल पोर्टल पर प्रश्नगत GSTIN को अपडेट करने पर उसका स्टेटस निरस्त किया जा सकता है। इसके उपरान्त ही फर्म को ई–वे बिल जनरेट करने से रोका जा सकता है।

खण्डाधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने के उपरान्त फर्म का पंजीकरण निरस्त होने में 15 दिन का समय लगता है। ई–वे बिल पोर्टल को प्रत्येक 24 घंटे में एकबार जी0एस0टी0पोर्टल के अनुसार अपडेट किया जाता है, जिससे फर्मों का पंजीकरण निरस्त होने का अद्यतन स्टेटस अपडेट हो जाता है। इसके उपरान्त भी कतिपय ऐसे प्रकरण प्रकाश में आए हैं जहॉ GSTIN निरस्त होने के उपरान्त भी उसका अद्यतन स्टेटस ई–वे बिल पोर्टल पर अपडेट नहीं हो सका है।

अतः अधीनस्थ अधिकारियों को यह निर्देशित करना सुनिश्चित करें कि किसी भी फर्म का GSTIN निरस्त करने के उपरान्त ई–वे बिल पोर्टल पर अद्यतन स्टेटस अपडेट न होने की दशा में ई–वे बिल नोडल आफिसर की ई–मेल आई0डी0– vidhushekhar1966@gmail.com पर निरस्तीकरण आदेश की प्रति तथा cancelled status का screenshot संलग्न करते हुए ई–वे बिल पोर्टल पर तद्नुसार अपडेट किए जाने हेतु तत्काल प्रेषित करें , ताकि करापवंचक फर्में GSTIN कैन्सिल हो जाने के उपरान्त भी फर्जी ई–वे बिल के माध्यम से करापवंचन न कर सकें । इस ई–मेल में सब्जेक्ट के रूप में **"GSTIN CANCELLED"** ही अंकित किया जाना सुनिशिचित कराया जाए।

30/12/18

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर,वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।